राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हल्द्वानी
मैनुअल–1 संगठन के कृत्य, कार्य और उत्तरदायित्व

कार्यालय का नाम–राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, हल्द्वानी नैनीताल

संस्थान का उद्देश्यः– प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी के अन्तर्गत विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण योजना एवं शिशिक्षु प्रशिक्षण योजना में प्रशिक्षण दिया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वार टाईम टैक्नीशियन स्कीम के अन्तर्गत कुशल कारीगरों की पूर्ति हेतु आरम्भ शिल्पकार प्रशिक्षण योजना का संचालन द्वितीय विश्व युद्व की समाप्ति के पश्चात सैनिकों के पुर्नवास के लिए किया जाता रहा। शिल्पकार योजना आजादी के उपरान्त विस्थापितों के पुर्नवास हेतु संचालित की गयी । कालान्तर में यह योजना सैनिकों एवं विस्थापितों के के अतिरिक्त देश की आवश्यकता अनुसार युवकों को प्रशिक्षित करने के लिये भी उपयोगी पाई गई। 1950 में इस योजना को व्यस्क नागरिक प्रशिक्षण योजना के रूप में संचालित किया गया। शिल्पकार प्रशिक्षण योजना को देश के बेरोजगार एवं अप्रशिक्षित जनमानस को कुशल कारीगरों के रूप में परिवर्तित करने में अत्यन्त लाभकारी सिद्व होने पर केन्द्र सरकार ने 1956 से इस योजना को संचालित करने का दायित्व राज्य सरकारों को सौंप दिया तथा विभिन्न राज्यों में प्रशिक्षण की एक रूपता तथा निरन्तर नई उच्च तकनीकी एवं उपयोगी बनाये जाने हेतु राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद का गठन किया गया। इस योजना को संचालित करने हेतु विभिन्न राज्यों में राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषदों का भी प्राविधान किया गया। जनपद नैनीताल में निम्नलिखित 12 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण योजना में प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

जनपद नैनीताल के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की सूची		
क्र0	जनपद का नाम	राजकीय औ0 प्रशि0 संस्थान/कार्यालय का नाम
1	नैनीताल	हल्द्वानी
2		भवाली
3		टाण्डी
4		बेतालघाट
5		ओखलकाण्डा
6		ढोकाने
7		कालाढूँगी
8		रामनगर
9		बिन्दुखत्ता
10		भीमताल वि0 (SCVT)
11		डोनपरेवा (SCVT)
12		चोरगलिया (SCVT)

प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी के अधीन प्रशिक्षण प्रखण्ड द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में निम्न दो प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जा रहे है।

1– शिल्पकार प्रशिक्षण योजनाः–इस योजना के अन्तर्गत जनपद नैनीताल में स्थापित 12 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्वीकृत है। इनमें भारत सरकार के रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय की राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा निर्धारित पाठयक्रमानुसार विभिन्न इंजीनियरिंग एवं नान इंजीनियरिंग व्यवसायों का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। प्रशिक्षण की समाप्ति पर भारत सरकार द्वारा अखिल भारतीय वार्षिक व्यावसायिक परीक्षा प्रतिवर्ष जुलाई में आयोजित की जाती है। उत्तीर्ण प्रशिक्षार्थियों को भारत सरकार द्वारा ही राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रमाण–पत्र प्रदान किये जाते है। जो पूरे भारत वर्ष के साथ–साथ अन्य देशों में भी मान्यता प्राप्त है। जनपद नैनीताल में स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हल्द्वानी में 13 इंजीनियरिंग एवं 03 नान इंजीनियरिंग व्यवसायों की 37 यूनिटों में प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध होने के साथ–साथ 776 प्रशिक्षाार्थियों के स्वीकृत स्थान उपलब्ध है।

2– शिशिक्षु प्रशिक्षण योजनाः– भारत सरकार शिशिक्षु अधिनियम 1961 के अधीन शिशिक्षु प्रशिक्षण योजना का कार्यान्वयन भी राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हल्द्वानी के माध्यम से सार्वजनिक /निजी क्षेत्र के उद्योगों/प्रतिष्ठानों में संचालित किया जा रहा हैं इस योजना के अधीन भारत सरकार के मानक के अनुरूप शिशिक्षु प्रशिक्षण सुविधाओं के आंकलन हेतु प्रतिष्ठानों का सर्वेक्षण कराया जाता है एवं प्रशिक्षण सुविधा पाये

Scanned with OKEN Scanner

जाने पर नियोजक को निर्धारित संख्या में शिशिक्षु नियोजित कराने एवं भारत सरकार के पाठयक्रमानुसार प्रषिक्षण देने हेतु अनुरोध किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत जनपद नैनीताल की 20 नियोजकों के यहॉ 300 शिशिक्षु स्थान उपलब्ध है। जिनमें 15 विभिन्न शिशिक्षु व्यवसायों का प्रशिक्षण सम्पन्न कराया जाता है। इस योजना में समस्त व्यवसायों के प्रशिक्षण में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से उत्तीर्ण अभ्यार्थियों को भारत सरकार के मानक के अनुरूप प्रशिक्षण अवधि में छूट भी प्रदान की जाती हैं इस प्रकार राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से उत्तीर्ण अभ्यार्थियों को 01 या 02 वर्ष का शिशिक्षु प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु नियोजित कराया जाता है। जिससे यह उद्योगों की आवश्यकतानुसार वास्तविक प्रशिक्षण प्राप्त कर कुशल शिल्पकार बन जाते है। इस प्रशिक्षण की समाप्ति पर भारत सरकार द्वारा अखिल भारतीय शिशिक्षु परीक्षा आयोजित की जाती हैं एवं उत्तीर्ण प्रशिक्षार्थियों का राष्ट्रीय शिशिक्षुता प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है जो आई0टी0आई0 के प्रमाण–पत्र से उच्च स्तर का होता है।

कृत एवं कर्तव्यः– उक्त दोनों व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं शिशिक्षु प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षित प्रशिक्षार्थी निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में सेवायोजन के साथ स्वतः रोजगार के लिये भी सक्षम हो जाता है। जनपद नैनीताल में रोजगार की दृष्टि से व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हो रहा है। वर्ष 2024– में 200 प्रशिक्षार्थी एवं वर्ष 2025 में 250 तथा 2026 में 210 प्रशिक्षार्थी राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हल्द्वानी में कैम्पस इण्टरव्यू के माध्यम से सीधे नियोजित कराये गये है।

संस्थान का मिशन/विजनः– जनपद नैनीताल के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का मुख्य कार्य शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (क्राफ्टसमैन ट्रेनिंग स्कीम) एव शिशिक्षु प्रशिक्षण योजना (एप्रेन्टिस ट्रेनिंग स्कीम) को कार्यान्वयन कराना है एवं ऐसे कुशल कारीगर तैयार करना है जो उत्तरांचल में स्थापित हो रहे उद्योगों एवं स्वतः राजगार की दृश्टि से सक्षम हो सकें।

संस्थान का संक्षिप्त इतिहास और इसके गठन का प्रसंगः– राजकीय औद्योगिक प्रषिक्षण संस्थान युवक हल्द्वानी की स्थापना वर्ष 1963 के उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई , प्रारम्भ में यह संस्थान बरेली रोड हल्द्वानी में किराये के भवन में चलाया गया। वर्ष 1963 में संस्थान का अपना भवन व कार्यशाला तैयार हो जाने पर यह संस्थान अपने भवन रामपुर रोड हल्द्वानी में चल रहा है। वर्तमान में संस्थान में 16 व्यवसाय चल रहे है। जिनमें 13 इंजीनियरिंग व्यवसाय एवं 03 नान इंजीनियरिंग व्यवसाय चल रहे है। शासनादेश संख्या 2605 (1) औ0वि0/147–श्रम/2001 दिनांक 3 दिसम्बर 2001 के अन्तर्गत निदेशालय पत्रांक डीटीईयू/0101/विभा0सं0/स्था0/2002 /8391–8470 दिनांक 24–8–2002 द्वारा इस संस्थान हेतु 01 प्रधानाचार्य 04 कार्यदेशक 26 व्यवसाय अनुदेशक 04 इंजीनियरिंग/कला अनुदेशक, 01 भाषा/सामाजिक अध्ययन अनुदेशक 01 मोटर ड्राइविंग अनुदेशक 01 अनुरक्षण अनुदेशक 01 भण्डारी, लेखा लिपिक 01, कम्पाउण्डर 01, ड्राइवर /मिस्त्री 01, ड्रेसर 01, कार्यशाला परिचर 03, एवं भण्डार परिचर 01, के पदों की स्वीकृति प्रदान की गई है। इनके अतिरिकत 09 लिपिक वर्गीय पद (जिनमें से 01 मुख्य सहायक 04 वरिष्ठ सहायक एवं 02 कनिष्ठ सहायक) जो पूर्ववर्ती उ0प्र0 राज्य से स्वीकृत है।

नोडल राजकीय औद्यांगिक प्रशिक्षण संस्थान हल्द्वानी –नोडल संस्थान के अन्तर्गत निम्नांकित महत्वपूर्ण कार्यों का सम्पादन किया जाता हैं–

क–राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का निरीक्षण– जनपद में नोडल राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हल्द्वानी में तथा नोडल संस्थान के अधीन एनसीवीटी एवं एससीवीटी के अन्तर्गत संचालित होने वाली राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षण हित में सुचारू संचालन हेतु निरीक्षण करना।

ख–योजनाओं का क्रियान्वयन– प्रशिक्षण हित में चलाये जा रहे विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु निदेशालय/ संयुक्त निदेशक (प्रशि0/शिशिक्षु) कार्यालय से प्राप्त महत्वपूर्ण दिशा–निर्देशों का अनुपालन करना तथा अधीनस्थ संस्थानों को निर्देशित करना ।

ग–संस्थानों का प्रशासनिक नियंत्रण– जनपद के संचालित विभागीय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के नोडल प्रधानाचार्य के रूप में कार्य करना।

घ–प्रशिक्षण की गुंणवत्ता का निरीक्षण एवं उद्योगों से समन्वय– जनपद के अन्तर्गत संचालित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षणरत प्रशिक्षार्थियों की तकनीकी गुणवत्ता में वृद्धि हेतु समय–समय पर संस्थानों का निरीक्षण एवं डीएसटी Duel System of Training एवं ओजेटी On the job Training हेतु उद्योग प्रतिनिधियों से समन्वय स्थापित कर उन्हें डीएसटी एवं ओजेटी हेतु तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करना।

ड़– संस्थान में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवा सम्बन्धी पत्रावलियों कर रखरखाव एवं सेवा सम्बन्धी कार्यवाही करना।

च– संस्थान के समस्त कार्यों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में सहयोग प्रदान करना एवं शासकीय धनराशि तथा संस्थान की संपत्ति का नियमानुसार उपयोग एवं संरक्षण करना।

Scanned with OKEN Scanner

2–सेवायोजन एवं रोजगार सृजन कार्य–

क– राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षणरत प्रशिक्षार्थियों को नोडल संस्थान/ अधीनस्थ संस्थानों में आयोजित होने वाले रोजगार मेलों, अप्रैन्टिस के माध्यम से प्रशिक्षार्थियों को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में योजित करने हेतु समन्वय स्थापित करना।

3–कौशल विकास योजनाऐं

क–अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम–UKSDM तथा अन्य राज्य/केद्रपोषित योजनाओं के अन्तर्गत युवाओं के लिये आयोजित किये जाने वाले अल्पकालीक कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।

ख–स्वरोगजार एवं मार्गदर्शन–युवाओं को विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं, करियर काउंसलिंग और अप्रैन्टिशिप के अवसरों से जोड़ने के लिये जागरूकता कार्यक्रम चलाना।

4–प्रशासनिक व नीतिगत कार्य–

क– निदेशालय एवं संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण/शिशिक्षु) कुमाऊँ मण्डल कार्यालय से समन्वय– प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय तथा संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण/शिशिक्षु) कुमाऊँ मण्डल कार्यालय से प्राप्त दिशा–निर्देशों का जनपद में अनुपानल सुनिश्चित करवाना।

ख–समीक्षा बैठकें–जनपद स्तर पर आयोजित होने वाली समीक्षा बैठकों में प्रतिभाग करना तथा विभागीय प्रगति आख्या का बैठकों में प्रकटीकरण करना।

Scanned with OKEN Scanner